न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/02/2025 रजि० नं0 2025/09 प्रवेश तिथि 04.03.2025

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
विनोद कुमार A-21, SF-5, SLF Ved Vihar (Ankur Vihar) Loni, Ghaziabad, Up-2011002	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 16.04.2025

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र ऑनलाईन क्रमाक 448773202910996 दिनांक 15.02.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमाक 216 दिनांक 05.03.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 17.03.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4– राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्र क्रमाक 473 दिनाक 20.03.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुऐ एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवायी गयी है, जिससे स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र ऑनलाईन क्रमाक 448773202910996 दिनांक 15.02.2025 में वर्णित सूचनाऐ उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित जवाब भिजवाया जा चुका है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानो की पालना की गयी है।

5– पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा जवाब प्रेषित किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6– अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7– आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

अति० जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

अति० जिला कलक्टर ... तिजारा (राज0)

Scanned with CamScanner